आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
6-02-16 3-03-16	**न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय** (जिला विधि शाखा) समपहरण वाद संख्या–06/2006–07 राज्य बनाम सीताराम साव **आदेश** उक्त समपहरण वाद लखीसराय थाना कांड सं0–464/06 दिनांक–05.12.2006 के आलोक में संधारित किया गया है। जिसके अंतर्गत 250 लीटर किरासन तेल जप्त हुआ है। जप्त किरासन तेल सीताराम साव, पे0–स्व0 मिश्री सा0–थाना चौक, लखीसराय, इंगलिश, वार्ड नं0–4, थाना व जिला–लखीसराय का बताया गया है, जिसे कालाबाजारी के उद्देश्य से लखीसराय शहरी क्षेत्र वार्ड नं0–4, में सीताराम साव, पे0–मिश्री साव के घर में कालाबाजारी के उद्देश्य से अवैध रूप से रखा गया था, परन्तु गुप्त सूचना के आधार पर आपूर्ति निरीक्षक, लखीसराय शहर द्वारा जप्त कर लिया गया। तत्पश्चात इस न्यायालय के आदेश ज्ञापांक–05/विधि, दिनांक–05.01.2007 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को जप्त खाद्यान्न को नीलाम कर प्राप्त राशि उचित शीर्ष में जमा करने का आदेश दिया गया। तद्नुसार अनुमंडलाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक–509/आ0, दिनांक–24.08.2007 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जप्त 250 लीटर को नीलाम कर प्राप्त राशि मो0 2363=00(दो हजार तीन सौ तिरेसठ) रू0 मात्र अनुमंडल नजारत में जमा कर दिया गया है। विपक्षी सीताराम साव को इस न्यायालय ज्ञापांक–06/विधि, दिनांक–05.01.2007 द्वारा नोटिस निबंधित डाक से भेजा गया, परन्तु विपक्षी के द्वारा कभी भी उपस्थिति नहीं दिया गया। उपरोक्त तथ्यों के आलोक से स्पष्ट है कि विपक्षी को वाद की कार्यवाही में कोई अभिरूचि नहीं है। अतः उपरोक्त जप्त खाद्यान्न की राशि को समपहृत करते हुए वाद की कार्यवाही निष्पादित की जाती है। आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को भेजें तथा इस आदेश की प्रति लखीसराय जिला के बेवसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजे। लेखापित/संशोधित 3/3/16 जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय। 3/3/16 जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय। ज्ञापांक- 156 विधि, दिनांक–03-03-16 **प्रतिलिपि** :– अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सूचना विज्ञान केन्द्र, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 3/3/16 जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय।	